रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-21122023-250803
CG-MH-E-21122023-250803

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 844] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 20, 2023/अग्रहायण 29, 1945
No. 844] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 20, 2023/AGRAHAYANA 29, 1945

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 20 दिसम्बर, 2023

विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2023

सं.फेमा 14 (आर)/2023-आरबी.—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और **दिनांक 02 मई 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 14 (आर)/2016-आरबी** का अधिक्रमण करते हुए, इस तरह के अधिक्रमण से पहले की गई या की जाने वाली चीजों को छोड़कर, रिज़र्व बैंक निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, यथा:

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2023 कहा जाएगा।

(2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

i. 'अधिनियम' का अर्थ है विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42);

ii. 'प्राधिकृत बैंक' का अर्थ वही है जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली- 2016, समय-समय पर यथासंशोधित, में दिया गया है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जैसे उक्त अधिनियम में हैं।

3. प्राप्ति और भुगतान का तरीका- (1) अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों अथवा जारी किए गए निदेशों में अन्यथा उपबंधित किसी तरीके को छोड़कर, भारत में निवासी कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को न तो भुगतान करेगा और न ही उससे भुगतान प्राप्त करेगा:

बशर्ते, रिज़र्व बैंक भारत में निवासी व्यक्ति से आवेदन प्राप्त होने पर उसे भुगतान करने या प्राप्त करने की अनुमति उक्त अधिनियम के तहत दे सकता है।

(2) भारत में निवासी व्यक्ति और भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के बीच प्राप्ति और भुगतान, किसी प्राधिकृत बैंक अथवा प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से और नीचे निर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा, जब तक कि अन्यथा उपबंध न किया गया हो:

(I) व्यापारिक लेनदेन - (क) निम्नलिखित देशों को पात्र वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात अथवा उनसे आयात के बदले प्राप्ति/ भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

(i) **नेपाल और भूटान -** भारतीय रुपये में, बशर्ते भारत से निर्यात के मामले में जहां नेपाल में स्थित आयातक को नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गयी हो, उक्त निर्यात की राशि के बदले इस प्रकार की प्राप्तियाँ विदेशी मुद्रा में हो सकती हैं;

(ii) **नेपाल और भूटान को छोड़कर एसीयू के सदस्य देश -** एसीयू तंत्र के माध्यम से अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत व्यापारियों को जारी किए गए निदेशों के अनुसार:

बशर्ते, आयातों के मामले में, जब एसीयू के सदस्य देश (नेपाल और भूटान के अलावा) से माल भारत भेजा जाता है, लेकिन आपूर्तिकर्ता एसीयू के सदस्य देशों से भिन्न किसी देश का निवासी है, तब भुगतान नीचे (iii) में निर्दिष्ट तरीके से किया जाए।

(iii) **एसीयू के सदस्य देशों से भिन्न देश –** भारतीय रुपये में या किसी विदेशी मुद्रा में।

(ख) इस उप-विनियम में निहित किसी बात के बावजूद, प्राप्तियां और भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई मौजूदा विदेश व्यापार नीति में किए जाने वाले प्रावधानों के अनुसार भी किए जा सकते हैं।

स्पष्टीकरण: 'एसीयू' (एशियाई समाशोधन संघ) शब्द का वही अर्थ होगा जैसा एसीयू करार के अनुच्छेद 1 में दिया गया है और एसीयू-तंत्र का अर्थ भी उसी के अनुरूप लगाया जाएगा।

(II) व्यापारिक लेनदेन से भिन्न लेनदेन - प्राप्ति और भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा-

(i) **नेपाल और भूटान -** भारतीय रुपये में, बशर्ते भूटान में किए गए पारदेशीय निवेश के मामले में भुगतान विदेशी मुद्रा में भी किया जा सकता है;

(ii) **अन्य देश -** भारतीय रुपये या किसी विदेशी मुद्रा में।

(3) भारत में निवासी व्यक्ति और भारत के बाहर निवासी व्यक्ति, जो भारत की यात्रा पर आया हो, के बीच व्यापारिक लेनदेन से भिन्न किसी भी चालू खाता लेनदेन के लिए भारत में भुगतान या प्राप्ति केवल भारतीय रुपये में की जा सकती है।

बशर्ते, विनियम 3 के अंतर्गत कोई भी भुगतान या प्राप्ति उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों या जारी निदेशों के अनुसार खोले गए किसी बैंक खाते में डेबिट/ क्रेडिट के माध्यम से भी किया जा सकता है।

डॉ. आदित्य गेहा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./626/2023-24]

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 20th December, 2023

Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) Regulations, 2023

No. FEMA 14(R)/2023-RB.In exercise of the powers conferred by Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in supersession of **Notification No. FEMA 14(R)/2016-RB dated May 02, 2016**, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Reserve Bank makes the following regulations, namely:

1. Short title and commencement. - (1) These regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

i. 'Act' means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

ii. 'Authorised Bank' shall have the same meaning as given in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016 as amended from time to time.

(2) The words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Manner of receipt and payment. – (1) Save as otherwise in a manner as provided in the Act or the rules or regulations made or directions issued under the Act, no person resident in India shall make or receive payment from a person resident outside India:

Provided that the Reserve Bank may, on an application made to it, permit a person resident in India to make or receive payment under the Act.

(2) The receipt and payment between a person resident in India and a person resident outside India shall, unless provided otherwise, be made through an Authorised Bank or Authorised Person and in the manner as specified below:

(I) Trade transactions - (a) receipt/payment for export to or import from the countries given below of eligible goods and services shall be made as under:

(i) **Nepal and Bhutan** - in Indian Rupees provided that in case of exports from India where the importer in Nepal has been permitted by the Nepal Rashtra Bank to make payment in foreign currency, such receipts towards the amount of the export may be in foreign currency;

(ii) **Member countries of ACU, other than Nepal and Bhutan** - through ACU mechanism or as per the directions issued by the Reserve Bank to authorised dealer from time to time:

Provided that in case of imports where the goods are shipped to India from a member country of the ACU (other than Nepal and Bhutan) but the supplier is resident of a country other than a member country of the ACU, the payment may be made in a manner as specified at (iii) below.

(iii) **Countries other than member countries of ACU** - In Indian Rupees or in any foreign currency.

(b) Notwithstanding anything contained in this sub-regulation, receipts and payments may also be made in a manner as may be provided in the extant Foreign Trade Policy framed by the Central Government.

Explanation: The expression 'ACU' (Asian Clearing Union) shall have the same meaning assigned to it under Article I of the ACU agreement and the ACU mechanism shall be construed accordingly.

(II) Transactions other than trade transactions - receipt and payment shall be made as under:

(i) **Nepal and Bhutan** - In Indian Rupees provided that in case of overseas investment in Bhutan, payment may also be made in foreign currency;

(ii) **Other Countries –** In Indian Rupees or any foreign currency.

(3) Payment and receipt in India for any current account transaction, other than a trade transaction, between any person resident in India and a person resident outside India, who is on a visit to India, may be made only in Indian Rupees.

Provided that any payment or receipt under regulation 3 may also be made by debit/ credit to a bank account maintained in terms of the rules, regulations or directions issued under the Act.

Dr. ADITYA GAIHA, Chief General Manager-in-Charge

[ADVT.-III/4/Exty./626/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2023.12.21 21:17:11 +05'30'